

## एनबीसी/एस/4.5 एवं 4.5(ए)/2023/497 दिनांक:13.03.2023

NBC/S/4.5 & 4.5(A)/2023/497 Date:13.03.2023

To,

प्रबंधक/The Manager बीएसई लिमिटेड/BSE Limited, फीरोज जीजीभोय टावर्स/Phiroj Jeejeebhoy Towers, दलाल स्ट्रीट/Dalal Street,

मुम्बई/MUMBAI- 400 001

स्क्रिप कोड/Scrip Code: 532234

To,

प्रबंधक/The Manager अनुसूचन विभाग/Listing Department नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि... National Stock Exchange of India Ltd., एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, बांद्रा ईस्ट/Bandra East,

मुम्बई/MUMBAI-400 051 प्रतीक/Symbol: NATIONALUM

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए द्वितीय अंतरिम लाभांश की घोषणा. विषय•

Sub: **Declaration of 2<sup>nd</sup> Interim Dividend for the Financial Year 2022-23.** 

महोदय/Dear Sir,

- हमारे पत्र क्रमांक दिनांक 03.03.2023 और 07.03.2023 के संदर्भ उपरोक्त विषय पर है। 1.0
- भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ। 2.0 विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 13.03.2023 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए **₹2.50/-** प्रति शेयर द्वितीय अंतरिम लाभांश के भगतान के लीये मंजुरी दी है।
- जैसा कि पहले सचित किया गया था, कंपनी ने द्वितीय अंतरिम लाभांश के हकदार शेयरधारकों की पात्रता के लिए मंगलवार, 21 मार्च, 2023 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है।
- द्वितीय अंतरिम लाभांश का भुगतान सभी पात्र शेयरधारकों को 31.03.2023 पर या उससे पहले किया 4.0 जाएगा. जिनके नाम सदस्य के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि यानी 21.03.2023 पर होंगे।
- लाभांश आय शेयरधारकों हेत् कर योग्य है और कंपनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर लाभांश का भूगतान करते समय स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती करना आवश्यक है। ऐसे शेयरधारक जो अपनी लाभांश आय से टीडीएस नहीं काटना चाहते हैं. वे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पैन, फॉर्म 15जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति, जब तक कि पहले से ही 21 मार्च 2023 को या उससे पहले जमा न कर दिया गया हो, ईमेल के माध्यम से einward.ris@kfintech.com पर प्रति के साथ company secretary@nalcoindia.co.in पर जमा कर सकते हैं।
- भारत में स्थापित निवासी गैर-वैयक्ति सदस्य अर्थात बीमा कंपनियांँ, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश 6.0 फंड (एआईएफ) और अनिवासी गैर-व्यक्तिगत सदस्य यानी विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वैकल्पिक रूप से संबंधित फॉर्म / घोषणाएँ / दस्तावेज अपने संबंधित संरक्षक के माध्यम से जो एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है, उपरोक्त समयसीमा को या उससे पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं।
- बैठक 1530 घंटे से शुरू हुई और 1620 घंटे पर संपन्न हुई।

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड

**National Aluminium Company Limited** (भारत सरकार का उद्यम)
निगम कार्यालय
REGD. & CORPORATE OFFICE (A Government of India Enterprise)

नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751 013 भारत Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013,India



- 1.0 This has reference to our letters dated 03.03.2023 & 07.03.2023 on the above subject.
- 2.0 In terms of Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we would like to inform that, the Board of Directors in their meeting held on 13.03.2023 have approved payment of **2**<sup>nd</sup> **interim dividend @ Rs.2.50/- per share** (50% on Face value of Rs.5/- each) on the paid-up equity share capital of Rs.918.32 crores for the financial year 2022-23.
- 3.0 As intimated earlier, the Company has fixed **Tuesday, the 21<sup>st</sup> March, 2023** as Record Date to ascertain the eligibility of shareholders who are entitled for the 2<sup>nd</sup> interim dividend.
- 4.0 The payment of 2<sup>nd</sup> interim dividend shall be made on or before **31.03.2023** to all eligible shareholders, whose names appear in the Register of Members as on Record Date i.e. 21.03.2023.
- 5.0 Dividend income is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making payment of dividends, at the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961. Shareholders who do not want TDS to be deducted from their dividend income, may submit scanned copy of PAN, Form 15G/ 15H & other requisite documents for the financial year 2022-23, unless already submitted, on or before March 21, 2023, through e-mail at einward.ris@kfintech.com with copy marked to company secretary@nalcoindia.co.in.
- 6.0 The Resident Non-Individual Members i.e. Insurance companies, Mutual Funds and Alternative Investment Fund (AIF) established in India and Non-Resident Non-Individual Members i.e. Foreign Institutional Investors and Foreign Portfolio Investors may alternatively submit the relevant forms / declarations / documents through their respective custodians who are registered on NSDL platform, on or before the aforesaid timelines.
- 7.0 The meeting commenced at 1530 Hours and concluded at 1620 Hours.
  आपकी जानकारी और अभिलेख हेतु/This is for your information and record.
  धन्यवाद/Thanking you.

भवदीय/Yours faithfully, कृते नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड for National Aluminium Co. Ltd.

(एन.के. महान्ति) (N.K. Mohanty) समूह महाप्रबंधक एबं कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी GGM & Company Secretary and Compliance Officer

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) निगम कार्यालय

National Aluminium Company Limited (A Government of India Enterprise) REGD. & CORPORATE OFFICE

नालको भवन, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751 013 भारत Nalco Bhawan, Nayapalli, Bhubaneswar-751013,India